



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil First Appeal No. 1463/2024

Afsar & Ors.

----Appellants/Defendants

Versus

Ms. Omvay Build State Private Limited & Anr.

----Respondents/Plaintiffs

For Appellant(s) : Mr. Jaswant Singh Rathor
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

11/05/2026

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 वादी ने वादपत्र में निष्पादन प्रार्थना पत्र में जो पता दे रखा है, उस पते पर नोटिस दिये जाने पर यह रिपोर्ट आई है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 काफी समय पहले से इस पते को छोड़कर चले गए हैं, मालूम नहीं है, वह कहां है।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी/वादी ने विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 4 अलवर (राज) में निष्पादन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रत्यर्थी/वादी उपस्थित हुआ है। इस प्रकरण में तामील नहीं हुई, इस कारण से जानबूझकर प्रत्यर्थी तामील नहीं होने पर निष्पादन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इस आशय से जानबूझकर प्रत्यर्थी/वादी ने तामील से देरी कर रखी है। प्रत्यर्थी/वादी अपीलार्थीगण की निष्पादन की कार्यवाही हो गई तो उनका अपील प्रस्तुत करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

अतः निष्पादन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 की कार्यवाही स्थगित की जावे।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के निष्पादन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पी.एफ. व नोटिस पेश करें।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त पी.एफ. व नोटिस प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी जारी किए जावे।

समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 4 अलवर (राज) में लंबित निष्पादन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2025 में अग्रिम कार्यवाही आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की जाती है।

प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से स्थगन पर आदेश पारित किया जावेगा।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J